विकास को गति 37 हजार 144 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए 29 घरेलू कंपनियों ने भी किया है करार

नौ हजार करोड़ का निवेश करेंगी 28 विदेशी कंपनियां

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: कोरोना काल में जब वैश्विक स्तर पर मंदी के बादल घने होते जा रहे थे, उस दौर में भी उत्तर प्रदेश बेहतर निवेश और कारोबार के केंद्र के रूप में उम्मीद की किरण बनकर उभरा। यह योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि औद्योगिकीकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए उप्र ने विदेशी कंपनियों को खास तौर पर आकर्षित किया है। सिर्फ कोरोना काल में ही 28 विदेशी कंपनियों ने लगभग नौ हजार करोड़ रुपये यहां निवेश करने के लिए करार किया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक कोरोना काल में देशी-विदेशी 57 कंपनियों ने 46 हजार 501 करोड़ रुपये के निवेश के लिए प्रदेश सरकार से करार किया है। इन कंपनियों में उत्पादन शुरू होने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे बाहर जाकर काम ढूंढने से भी राहत मिलेगी। इनमें 28 विदेशी कंपनियों ने 9357 करोड़ रुपये के निवेश के लिए करार किया है। एक जूता बनाने वाली कंपनी ऐसी है, जो चीन से शिफ्ट होकर भारत आई है और तीन सौ करोड़ रुपये के निवेश से आगरा में उत्पादन शुरू किया है। इसके अलावा 37 हजार 144 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए घरेलू 29 कंपनियों ने करार किया है।

उपलब्धि

- कोरोना काल में भी निवेश आकर्षित करने में योगी सरकार सफल
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार

विदेशी कंपनियां

कहां की कंपनियां	निवेश (रु. में)
कनाडा की दो कंपनियां	1746 करोड़
जर्मनी की चार कंपनियां	300 करोड़
हांगकांग की एक कंपनी	1000 करोड़
जापान की सात कंपनियां	2000 करोड़
सिंगापुर की दो कंपनियां	1600 करोड़
यूके की तीन कंपनियां	1375 करोड़
यूएसए की पांच कंपनियां	309 करोड़
कोरिया की चार कंपनियां	928 करोड़

योगी ने दिए दो माह में जमीन पर कब्जा दिलाने के निर्देश

कोरोना काल में उद्यमियों को 850 प्लॉट आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर 28 में 350 एकड़ में डेडिकेटेड मेडिकल डिवाइस पार्क प्रस्तावित है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू किया गया है। मुख्यमंत्री ने दो माह के अंदर सभी उद्यमियों को भौतिक रूप से कब्जा दिलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट धरातल पर उत्पादन शुरू कर सकें। इससे पहले श्रम कानून सहित निवेश आकर्षित करने को कई नीतियों में संशोधन भी किया है।